कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजस्थान

22 गोदाम, नेहरू सहकार भवन

जयपुर

क्रमांकः फा. 51(1)सविरा/बैंक–2/2014 दिनांकः 22/04/2016

1. प्रबन्ध निदेशक,
   राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि.,
   जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक,
   केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
   ....(समस्त)
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
   सहकारी समितियॉ,
   ....(समस्त)
4. उप/सहायक रजिस्ट्रार,
   सहकारी समितियॉ,
   ....(समस्त)

विषयः– अल्पकालीन फसली ऋण अंगभाग ''ब'' (बी कम्पोनेट) में ऋण वितरण के संबंध में।

प्रसंगः– विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 14.01.2016

विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा पैक्स/लैम्पस के माध्यम से वितरित किये जाने वाले अल्पकालीन फसली ऋण में से 75 प्रतिशत राशि ''अ'' भाग के रूप में एवं 25 प्रतिशत राशि ''ब'' भाग के रूप में दिये जाने की अनिवार्यता लागू की गयी थी।

माननीय सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों का उत्तर देते हुए चर्चा के उपरान्त दिनांक 28.03.2016 को राजस्थान विधानसभा में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार अल्पकालीन फसली ऋण में से 25 प्रतिशत राशि भाग ''ब'' के रूप में दिये जाने की व्यवस्था अब खरीफ व रबी फसल हेतु ऐच्छिक रूप से लागू की जाती है अर्थात कृषक सदस्य पैक्स/लैम्पस से कृषि आदान व अन्य सामग्री का क्रय स्वेच्छा से कर सकेगें।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Sd

(विधाधर गोदारा)

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

क्रमांकः फा. 51(1)सविरा/बैंक–2/2014 दिनांकः 22/04/2016

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महो. राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, प्रथम/द्वितीय/मार्केटिंग/मुख्य अंकेक्षक/वित्तीय सलाहकार, प्रधान कार्यालय, जयपुर
4. ....,...............जिला प्रभारी अधिकारी............................
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/क्रय–विक्रय/फल सब्जी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि............(समस्त)
6. वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग) 22/04